न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2023

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

भागचंद पुत्र स्वर्गीय श्री सुखपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।
––प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान नगर सुधार न्यास अजमेर हाल अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये आयुक्त महोदय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील अजमेर।
3. शंकर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, जाति रावत निवासी अटल सेवा केन्द्र के सामने, रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।
4. श्रीमती संतोष पत्नी श्री शंकर सिंह, जाति रावत निवासी अटल सेवा केन्द्र के सामने, रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।
5. रामचन्द्र पुत्र श्री पांचू जाति गुर्जर निवासी रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।
6. मोती लाल तेली पुत्र श्री रामेश्वर लाल तेली निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रावत — प्रार्थी अभिभाषक
2. श्री हरि सिंह गुर्जर — अप्रार्थी संख्या 1 अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः– 16/08/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पूर्वजों की पुश्तैनी कृषि आराजी भूमि ग्राम रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 855 रकबा 0.08, खसरा नंबर 856 मिन रकबा 0.10, खसरा नंबर 857 रकबा 0.07, खसरा नंबर 861 रकबा 0.06, खसरा नंबर 862 रकबा 0.02, खसरा नंबर 863 मिन रकबा 0.01, खसरा नंबर 859 मिन/1732 रकबा 0.09, खसरा नंबर 860 रकबा 0.15 व खसरा नंबर 863 रकबा 0.26 है। उक्त आराजी स्वर्गीय श्री सूरजमल पुत्र स्वर्गीय श्री धीरा के नाम दर्ज थी, सूरजमल का स्वर्गवास होने के पश्चात उपरोक्त आराजी विरासत में प्रार्थी के पिता श्री सुखपाल व चाचा स्वर्गीय श्री गोविन्द तथा स्व. श्रीमती श्रवणी पत्नी स्व. सूरजमल के नाम दर्ज हुई, प्रार्थी के चाचा गोविन्द की मृत्यु स्व. सूरजमल के जीवनकाल में ही हो गई थी उक्त आराजी पूर्वजों से खातेदारी में चली आर रही थी जो कि चौसाला जमाबंदी से सिद्ध है। उक्त आराजी जो कि चौसाला जमाबंदी खेवट जमाबंदी 1349 फसली में धीरा वल्द कालू कौम गुर्जर के नाम दर्ज थी जो कि प्रार्थी के दादा थे, प्रार्थी के दादा की मृत्यु उपरांत विरासत में नामान्तरकरण से सूरजमल, सुखपाल पुत्र धीरा के नाम दर्ज हुई थी, जिसका उल्लेख वर्किंग जमाबंदी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात खेवट जमाबंदी 1349 फसली व चौसाला जमाबंदी मे खातेदार दर्ज है व विधिक प्रक्रिया बिना प्रार्थी को सूचना के उक्त आराजी को राजस्थान सरकार नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम गलत इन्द्राज कर दिया जब कि खेवट खतौनी 1349 फसली के अनुसार खातेदारी मे वर्किंग जमाबंदी राजस्व अभिलेख के अनुकूल ही दर्ज होना चाहिए। वर्किंग जमाबंदी मे भू–प्रबंध विभाग अजमेर के द्वारा जो इन्द्राज किया गया त्रुटिपूर्ण है एवं उनके क्षेत्राधिकार से परे है जब कि विधि के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ववत जमाबंदी के अनुकूल ही वर्किंग व वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना चाहिए था। उक्त वादग्रस्त वर्किंग जमाबंदी व वर्तमान जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 1 नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के विधिक अधिकारो में दखल करने पर आमदा है व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज होने के कारण कब्जा करने व निर्माण करने पर आमदा है व अप्रार्थी संख्या 1 अन्य को नियमन/आवंटन एवं भूखण्ड के रूप में निलाम आदि करने पर आमदा है जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर उन्हे पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

16/08/24

सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने आपत्ति जताते हुए प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.02.2024 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वर्किंग खसरा नंबर 877/1 रकबा 0.12 बीघा, 878/1 रकबा 0.18 बीघा व खसरा नंबर 880/1 रकबा 1.9 सिवायचक से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/एफ–12/सी/26/ 88/46 दिनांक 23.07.1988 द्वारा रसूलपुरा की सिवायक दीपक नगर गृह निर्माण योजना अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में उक्त आराजीयात अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा अजमेर विकास प्राधिकरण ही वर्तमान मे खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करना अनुचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहूँचे है कि वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वर्किंग खसरा नंबर 877/1 रकबा 0.12 बीघा, 878/1 रकबा 0.18 बीघा व खसरा नंबर 880/1 रकबा 1.9 सिवायचक से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/एफ–12/सी/26/ 88/46 दिनांक 23.07.1988 द्वारा रसूलपुरा की सिवायचक दीपक नगर गृह निर्माण योजना अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/08/24

(मोनिका जाखड़)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner